

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जून, 2014

पत्र संख्या-1/एल01-10-11/2011 गृ0आ0 /श्री जयन्त कान्त, भा0पु0से0 (2009), नगर पुलिस अधीक्षक, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 16.06.2014 से 05.07.2014 तक कुल 20 (बीस) दिनों की उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री जयन्त कान्त के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-11/2011 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जून 2014
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-11/2011 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जून 2014
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-11/2011 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जून 2014
प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-11/2011 गृ0आ0 5103 /पटना, दिनांक 23, जून 2014
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री जयन्त कान्त, भा0पु0से0 (2009), नगर पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।